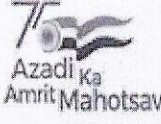


	भारत सरकार / Government of India वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry, विकास आयुक्त का कार्यालय / Office of the Development Commissioner, सीपज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ-Special Economic Zone, अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai – 400 096 टेलि. / Tel. : 022-28294719/03 फैक्स / Fax : 28291385, ई-मेल / E-mail: jdcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in	
---	--	---

फा.सं.: सीपज़-सेज़/डीएम/डीएमआर/04/20-21/01289

दिनांक: 19.01.2023

परिपत्र सं. 06/2023

विषय – वर्ष 2023 के कार्यक्रमों (इवेंट) का कैलेंडर

वर्ष 2023 के दौरान फायर मॉक ड्रिल कार्यक्रमों के कैलेंडर की प्रति संलग्न है। आपको इसके द्वारा निदेश दिया जाता है कि वर्ष 2023 के कार्यक्रमों के अनुसार मासिक / छः माह की रिपोर्ट एवं अग्निशमन प्रशिक्षण तथा फायर मॉक ड्रिल आयोजित करके प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

Signed by Haresh Kisan
Dahilkar
Date: 19-01-2023 17:11:03
Reason: Approved
(हरेश दाहिलकार)

सुरक्षा अधिकारी/सहायक विकास आयुक्त

सीपज़-सेज़

प्रति:

सभी यूनिट तथा कैंटीन, सीपज़-सेज़

प्रतिलिपी:

- आईटी अनुभाग - कृपया उक्त सूचना वेबसाइट- www.seepz.gov.in पर अपलोड किया जाए

2. सुरक्षा अनुभाग - जानकारी के लिए
3. संपदा अनुभाग - जानकारी के लिए

File No.DM/2/2022-EO
वर्ष 2023 के मॉक ड्रिल का कैलेंडर

कार्यक्रम	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर
एसडीएफ बिडिंग द्वारा फायर मॉक ड्रिल	एसडीएफ 1, एसडीएफ 2 और एसडीएफ 3	जी एंड जे 1, एसडीएफ 7 और सेवा केंद्र भवन (डी.सी. कार्यालय)	एसडीएफ 4, एसडीएफ 5 और एसडीएफ 6	जी एंड जे 2 और एसडीएफ 8	जी एंड जे 3 और मल्टिस्टोरिड बिल्डिंग	सीप्लू++ टॉवर 1 और सीप्लू++ टॉवर 2	एसडीएफ 1, एसडीएफ 2 और एसडीएफ 3	जी एंड जे 1 और एसडीएफ 7	एसडीएफ 4, एसडीएफ 5 और एसडीएफ 6	जी एंड जे 2 और एसडीएफ 8	जी एंड जे 3 और मल्टिस्टोरिड बिल्डिंग	सीप्लू++ टॉवर 1 और सीप्लू++ टॉवर 2
सभी यूनिटों/बिल्डिंगों द्वारा प्रत्येक महीने में अग्निशमन प्रशिक्षण	सभी यूनिट	सभी यूनिट	सभी यूनिट	सभी यूनिट	सभी यूनिट	सभी यूनिट	सभी यूनिट	सभी यूनिट	सभी यूनिट	सभी यूनिट	सभी यूनिट	सभी यूनिट
इमारत आपातकालीन प्रबंधन समिति द्वारा रिपोर्ट	प्रत्येक छह महीने में एक बार अर्थात प्रत्येक वर्ष के जून तथा दिसंबर महीने के अंत में।											
सभी कैंटीनों की खाद्य निरीक्षक की निरीक्षण रिपोर्ट	प्रत्येक छह महीने में एक बार अर्थात प्रत्येक वर्ष के जून तथा दिसंबर महीने के अंत में।											
इमारत आपातकालीन प्रबंधन समिति द्वारा मासिक बैठक	सभी इमारत।											
आपदा प्रबंधन समिति की बैठक	प्रत्येक तीन महीने में एक बार अर्थात प्रत्येक वर्ष के मार्च, जून, सितंबर तथा दिसंबर महीने के अंत में।											

नोट:- इमारत आपातकालीन प्रबंधन समिति द्वारा उनके इमारतों में फायर मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा। यह मॉक ड्रिल सीप्लू आपदा अनुभाग के सदस्यों द्वारा पर्यवेक्षण कि जाएगा। ऐसे ड्रिलों के लिखित रिकॉर्ड तीन वर्षों तक रखे जायेंगे तथा फायर ब्रिगेड निरीक्षण के लिए ये तत्काल उपलब्ध रहेंगे। इमारत आपातकालीन प्रबंधन समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने यूनिटों / इमारतों में फायर फाइटिंग प्रशिक्षण के लिए फायर ब्रिगेड के साथ संपर्क रखें।

1. सभी इमारतों को सभी यूनिटों के साथ मासिक बैठक आयोजित करनी है तथा इन बैठकों के कार्यवृत्त विकास आयुक्त को भेजने हैं तथा इनकी प्रतियां आपदा प्रबंधन सेल तथा संबंधित आपातकालीन प्रबंधन समिति के चेअरमैन को भी भेजनी हैं।
2. आपातकालीन प्रबंधन समिति को आवश्यकतानुसार अपने-अपने इमारतों की बैठकें आयोजित करनी है तथा इस संबंध में पाई जानी वाली विसंगतियों की सूचना सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सीप्लू, आपदा अनुभाग को भेजनी हैं।

Signed by Haresh Kisan
Dahilkar
Date: 19-01-2023 17:10:41
Reason: Approved

(हरेश दाहिलकार)
सुरक्षा अधिकारी/सहायक विकास आयुक्त
सीप्लू-सेज़